

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

तेजमल

बनाम

श्रीमामल कौं

किस्म मुकदमा

डूपावली

नं.

30

सन्

2017

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
3-8-17	<p>वकील डिप्टी कमर ने उपरिभक्त होकर डूपावली पेश की। डूपावली दर्ज मजिस्ट्रेट की जाये। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिप्टी की फालत में तहसीलदार श्रीमामल को कदरीर अज्ञेता जारी होकर पत्रावली दिनांक 25-9-17 को पेश है।</p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिप्टी व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 920 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>श्रीमामल डूपावली आदेश की पालना में नामा सं- 920/13-26.03. 2018 दर्ज कर डूपावली पत्रावली किया गया 14.06.2021 (राज पैरोकार ना. तहसीलदार श्रीमाधोपुर)</p>

17.06.2021

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

